[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 18/2023 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 जुलाई, 2023

सा.का.नि...(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020–केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक में, –

(i) शब्दों, अक्षरों और अंक, "अप्रैल 2023 और मई, 2023 की कर अवधि" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2023, मई, 2023 और जून, 2023 की कर अवधि" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्दों, अक्षरों और अंक, "जून, 2023 माह के तीसवें दिन " के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंक, "जुलाई, 2023 माह के इकतीसवें दिन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 83/2020-केंद्रीय कर, तारीख 10 नवंबर, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 699(अ), तारीख 10 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.14/2023-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 448(अ) तारीख 19 जून, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।